282/20 पत्रावली तलब की गई। वकील वादी मुद्दई।
न्यायालय के पुकारे जाने पर ना तो वादी
ना ही वकील वादी न्यायालय के समक्ष
उपस्थित हुये। अतः न्यायालय हस्तगत वाद
को अदम वाजिबी अदम पैरवी से खारिज
करते हैं पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.03.02 11:56:20 IST
Reason: SelfAttested